FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0010 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/01/2025 19:46 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 14/01/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:23 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/01/2025 **Time (समय):** 18:50 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/01/2025 19:46:43 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 350 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** DUDALIYA, KUMBHALGARH

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ROSHAN LAL GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHIM LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DUDALIYA VARDARA, KUMBHALGARH, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DUDALIYA VARDARA, KUMBHALGARH, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DIVYAM JAJORIYA		पिता:ANIL KUMAR JAJORIYA	1. C 669,KANTA KHATURIYA COLONY,AMIT STUDIO KE PICHHE,JAINARAYAN VYAS COLONY,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
2	TARUN KUMAR GAMETI		पिता:PITHARAM GAMETI	1. GANGLAYA MOHALLA KELWARA,RAJSAMAND,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वत राशि बारह हजार छ सौ रूपये	12,600.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 12,600.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.12.2024 समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री रोषन लाल गुर्जर पुत्र श्री भीम लाल गुर्जर, उम्र 32 साल, जाति गुर्जर, निवासी-गांव दुदालिया, ग्राम पंचायत वरदडा, तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द व दो अन्य व्यक्ति श्री सज्जन लाल पुत्र श्री मोहन लाल जी गुर्जर एवं श्री बाबुलाल पुत्र श्री दौलाजी गुर्जर निवासी दुदालिया, ग्राम पंचायत वरदडा, तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द के साथ ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित आये और एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया की कि "मैं प्रार्थी मूल रूप से गांव दुदालिया, ग्राम पंचायत वरदडा, तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द का रहने वाला हुं। मेरे गांव के श्री सज्जन लाल पुत्र श्री मोहन लाल जी गुर्जर की चार भैसों के, श्री बाबुलाल पुत्र श्री दौलाजी गुर्जर की चार भैसों, श्री किशनलाल पुत्र श्री भूरालाल जी की तीन भेसों व मेरे गांव/पडोसी गांवों के अलग-अलग व्यक्तियों की 10 भैसों के एवं मेरी तीन भैसों सहित कुल 24 भैसों के कानों पर टैग श्री दिव्यम जाजोरिया पशुचिकित्सक, पशुचिकित्सालय रिछेड जिला राजसमन्द के निर्देश पर श्री बिन्टू कम्पाउडर द्वारा लगाये गये थे तथा मेरे गांव/पडोसी गावों के अलग-अलग व्यक्तियों की 20-22 अन्य भैसों के व मेरी तीन भैसों के कानों पर अभी भी टैग लगवाने बाकि हैं। जीन भैसों के कानों पर टैग लग चुके हैं उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र श्री दिव्यम जाजोरिया पशुचिकित्सक, पशु चिकित्सालय रिछेड द्वारा जारी किया जाना हैं। मेरे व श्री सज्जन लाल पुत्र श्री मोहन लाल जी गुर्जर, श्री बाबुलाल पुत्र श्री दौलाजी गुर्जर, श्री किशनलाल पुत्र श्री भूरालाल जी गुर्जर व अन्य व्यक्तियों की भैसें जिनके कानों पर टैग लग चुके हैं उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करवाने एवं शेष भैसें जिनके कानों पर टैग नहीं लगे हुए उनके कानों पर टैग लगवाने व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए मैंने श्री दिव्यम जाजोरिया को व्हाटसएप्प वॉईस कॉल कर उनसे बात की तो श्री दिव्यम जाजोरिया ने मेरे व मेरे गांव/पडोसी गावों के अन्य व्यक्तियों की भैसों के कानों पर टैग लगवाने व भैंसों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में प्रति भैस 800 रूपये के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की और कहा कि मैं अलग-अलग व्यक्ति के पास नहीं जाउंगा, जिन व्यक्तियों की भैसों के कानों पर टैग लग चुके हैं एवं जिन व्यक्तियों की भैसों के कानों पर टैग लगवाने बाकि हैं उसकी एक लिस्ट बना के उन सभी से 800 रूपये प्रति भैस के हिसाब से रूपये इकट्टे करके आप मुझे दे देना। मैं भैसों के टैग लगवाकर सभी भैसों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर दूंगा। आप रूपये नहीं दोगे तो मैं भैसों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी नहीं करूंगा। श्री दिव्यम जाजोरिया एक भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो बिना रिश्वत लिये किसी का भी काम नहीं करते हैं। मैं व मेरे गांव के श्री सज्जन लाल पुत्र श्री मोहन लाल जी गुर्जर, श्री बाबुलाल पुत्र श्री दौलाजी गुर्जर व श्री किशनलाल पुत्र श्री भूरालाल जी गुर्जर अपनी-अपनी भैसों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करवाने की एवज में श्री दिव्यम जाजोरिया पशुचिकित्सक को प्रति भैस 800 रूपये के हिसाब से रिश्वत राषि नहीं देना चाहते हैं और उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहते हैं। मेरी व मेरे गांव के श्री सज्जन लाल गुर्जर, श्री बाबुलाल गुर्जर की श्री दिव्यम जाजोरिया पशु चिकित्सक से कोई आपसी रंजीश नहीं हैं और ना ही कोई आपसी लेनदेन बकाया हैं। मेरी 06 भैंसे मेरे छोटे भाई श्री विक्रम गुर्जर के नाम से हैं और हम दोनों भाई साथ में ही रहते हैं। मैं मेरे छोटे भाई श्री विक्रम गुर्जर व मेरे गांव के श्री सज्जन लाल गुर्जर, श्री बाबुलाल गुर्जर व श्री किशन लाल गुर्जर की पूर्ण सहमति से रिपोर्ट पेश कर रहा हुं। श्री किशन लाल गुर्जर की तबीयत सही नहीं होने की वजह से वो आज मेरे साथ नहीं आये हैं लेकिन उन्होंने मुझे श्री दिव्यम जाजोरिया के खिलाफ एसीबी में रिपोर्ट देने हेतु अपनी सहमति दी हैं। रिपोर्ट करता हुं कानूनी कार्यवाही करावें।" इसके उपरांत मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रोशनलाल गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मजीद दरियाफ्त की गई। तत्पश्चात मन्

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित श्री सज्जन लाल गुर्जर व श्री बाबुलाल गुर्जर से उनकी सहमति के सम्बन्ध में पूछने पर हर दोनों ने अपनी-अपनी सहमति प्रकट की तथा परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर श्री सज्जन लाल गुर्जर व श्री बाबुलाल गुर्जर के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "मेरे गांव के श्री किशन लाल गुर्जर की तबीयत खराब होने से वो अभी मेरे साथ नहीं आये हैं लेकिन उन्होंने अपनी पूर्ण सहमति के साथ प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये हैं। मेरे गांव के श्री सज्जन लाल गुर्जर, श्री बाबुलाल गुर्जर व श्री किशन लाल गुर्जर इस कार्यवाही में मेरे साथ उपस्थित नहीं रहेंगे क्योंकि श्री दिव्यम जाजोरिया पशु चिकित्सक मेरे उपर विश्वास करता हैं और वह रिश्वत राशि के सम्बन्ध में केवल मुझसे ही बात करेगा।" परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आना पाये जाने से पर अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से कार्यालय कक्ष की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड मंगवाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर को डिजीटल वॉईस रिकार्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध कर्मचारी श्री दिव्यम जाजोरिया पशु चिकित्सक से मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये। तत्पश्चात परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने बताया कि "श्री दिव्यम जाजोरिया पशु चिकित्सक से अभी वार्ता करने जाउंगा तो वो अपने कार्यालय से निकल जायेंगे और उनसे वार्ता भी नहीं हो पायेगी। मैं, मेरे मोबाईल से श्री दिव्यम जाजोरिया को कॉल करके उससे वार्ता करूंगा तो वो फोन पर ही रिश्वत राशि की मांग कर लेंगे।" इस पर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर के कहे अनुसार उसके मोबाईल नम्बर [redacted] संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय 04.46 पी.एम. व 04.46 (01) पी.एम. पर परिवादी के फोन को लाउड स्पीकर पर रखकर दो बार कॉल करवाया गया लेकिन रिंग नहीं जाने से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। उक्त दोनों वार्ताओं को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय 04.48 पी.एम. पर संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर व्हाट्सएप्प वॉईस कॉल आया जिस पर परिवादी द्वारा कॉल उठाने के पश्चात परिवादी के मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रखकर परिवादी व संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया के मध्य हुई उक्त मोबाईल व्हाट्सएप्प वॉईस कॉल वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त व्हाट्सएप्प वॉईस कॉल वार्ता में "परिवादी ने संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया से प्रति भैंस के हिसाब से पैसे कुछ कम करने के लिए कहा तो संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया ने 100-100 रूपये कम करने की कहा। इस पर परिवादी ने लास्ट 400-500 रूपये में करने व रसीद के बारे में कहा तो संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया ने कहा कि अगर रसीद की बात होती तो रसीद की बात अपन पहले करते, अगर रसीद से ही करवाना हैं तो मैं भी फिर कायदे से ही काम करू फिर। इस पर परिवादी ने लास्ट 500 रूपये में करने का कहा तो संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया ने अपने कम्पाउडर से बात करने की कहा।" इसके पश्चात परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "मेरे व संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया के मध्य पूर्व में व्हाट्सएप्प कॉल पर हुई वार्ता में उन्होंने मुझसे प्रति भैंस 800 रूपये के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की थी और अभी व्हाट्सएप्प कॉल पर हुई वार्ता में राशि 100-100 रूपये प्रति भैंस, कम करके 700 रूपये प्रति भैंस के हिसाब से रिश्वत राशि देने व 7-8 वर्ष पुरानी भैसों की आयु 4-5 वर्ष दिखाकर उसी हिसाब से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा हैं और भैसों के कानों पर टेग लगवाने व उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में उनके द्वारा ली जाने वाली रिश्वत राशि की रसीद भी श्री दिव्यम जाजोरिया नहीं देना चाहते हैं क्योंकि 700 रूपये प्रति भैंस के हिसाब से रसीद भी नहीं कटती हैं।" तत्पश्चात परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "मैं, श्री दिव्यम जाजोरिया से रिछेड जाकर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर वार्ता करूंगा तो रिश्वत राशि की मांग कर सकते हैं। मैं श्री दिव्यम जाजोरिया को व्हाट्सएप्प कॉल कर उनसे कल कस्बा रिछेड में मिलने के लिए निवेदन करूंगा तो वो मान जायेंगे।" इस पर समय 05.13 पी.एम. पर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] से संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया के मोबाईल नम्बर [redacted] पर व्हाट्सएप्प वॉईस कॉल करवा फोन को लाउड स्पीकर पर रखकर वार्ता करवाई जाकर उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त व्हाटसएप्प वॉईस कॉल वार्ता में "परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया से कल रिछेड में मिलने के लिए कहा तो संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया ने कहा कि मेरी 4-5 दिन के लिए ड्युटि कहीं दूसरी जगह पर लग गई हैं, मैं 4-5 दिन थोडा बाहर रहुंगा।" इस प्रकार परिवादी व संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया के मध्य दिनांक 16.12.2024 को समय 04.48 पीएम व 05.13 पीएम पर हुई मोबाईल व्हाट्सएप्प वॉईस कॉल वार्ता में संदिग्ध द्वारा परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर से रिश्वत राशि की स्पष्ट रूप से मांग नहीं करने से पुनः रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने के कारण परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "मेरे व श्री दिव्यम जाजोरिया के मध्य हुई वार्तानुसार श्री दिव्यम जाजोरिया 4-5 दिन के लिए ड्युटि हेतु बाहर रहेंगे इसलिए उनसे सम्पर्क नहीं हो पायेगा

और रिश्वत राशि की मांग सम्बन्धी वार्ता भी नहीं हो पायेगी।" इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर से साझा करते हुए परिवादी को हिदायत दी कि "जब भी संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया किसी भी माध्यम से आपसे सम्पर्क करके आपको बुलाता हैं तो उसकी सूचना तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को देवे।" इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपस्थित परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर, श्री सज्जन लाल गुर्जर व श्री बाबुलाल गुर्जर से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर व श्री हेमराज कानि0 के परस्पर मोबाईल नम्बर साझा करवाये जाकर श्री हेमराज कानि0 को परिवादी द्वारा जब भी संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया पषु चिकित्सक रिछेड से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन की कार्यवाही हेतु कॉल आने पर ब्यूरो कार्यालय से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के प्राप्त कर परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में रखी हुई अलमारी में सुरक्षित अवस्था में श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से रखवाया गया तथा समय 05.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर व परिवादी के साथ आये श्री सज्जन लाल गुर्जर व श्री बाबुलाल गुर्जर को मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.01.2025 को परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल किया था लेकिन मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का मोबाईल फोन साईलेण्ट हो जाने से परिवादी का फोन अटेण्ड नहीं हो पाया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुनः समय 09.45 एएम पर परिवादी को कॉल कर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि "मैने आज संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया को उसके मोबाईल पर कॉल कर उससे बात की तो उन्होंने आज मुझे कुम्भलगढ स्थित पशु चिकित्सालय पर मिलने के लिए बुलाया हैं। मैं संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया से मिलने के लिए कुम्भलगढ जाउंगा और उनसे वार्ता करूंगा तो श्री दिव्यम जाजोरिया मुझसे रिश्वत राशि की मांग कर सकता हैं इसलिए आप अपने कार्यालय से किसी कार्मिक को रिकॉर्डर के साथ कुम्भलगढ भेज दो, मैं कुम्भलगढ से उदयपुर की तरफ जाने वाले आम रास्ते के किनारे स्थित इण्डियन ऑईल पेट्रोल पम्प के पास उनको मिल जाउंगा।" इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को बताया कि ब्यूरो कार्यालय से श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड के कुम्भलगढ आयेगा और आपसे सम्पर्क करते हुए अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायेगा।" तत्पश्चात समय 09.55 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित अवस्था में रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से निकलवाकर श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 को सुपुर्द कर निर्देश देकर फर्द सिपूर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही की जाकर श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 को कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता की आवश्यक हिदायत देकर उसकी निजी मोटरसाईकिल से मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड के कस्बा कुम्भलगढ की तरफ रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 01.00 पी.एम. पर श्री हेमराज कानि0नं0 306 ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को समस्त हालात से अवगत कराया। तत्पश्चात श्री हेमराज कानि0 ने अपने मोबाईल फोन से ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर से वार्ता करवाई तो परिवादी ने बताया कि "मैं पशु चिकित्सालय कुम्भलगढ के अन्दर गया तथा श्री दिव्यम जाजोरिया से मिला और मेरे व मेरे गांव/पडौसी गांव के अलग-अलग व्यक्तियों की भैसों के कानों पर टैग लगवाने व भैसों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में श्री दिव्यम जाजोरिया से वार्ता की तो श्री दिव्यम जाजोरिया ने पहले तो प्रति भैंस 700 रूपये के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की और मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करने की कहने पर 600 रूपये प्रति भैंस के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की और कहा कि जिन व्यक्तियों की भैसों के कानों पर टैग लगवाना हैं और जिन व्यक्तियों की भैसों के कानों पर टैग लग चुके हैं उन सभी से 600 रूपये के हिसाब से रूपये इकट्ठे करके साथ में उनका जन आधार कार्ड/आधार कार्ड लेके आ जाओं, मैं जिन भैसों के कानों पर टैग नहीं लगे हैं उनके टैग लगवाकर सभी भैसों का हाथों हाथ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दे दूंगा, आप हाथों हाथ पैसे दे देना और मैं हाथों हाथ सर्टिफिकेट दे दूंगा, मैं 600 रूपये के अलावा और कुछ नहीं लूंगा और सर्टिफिकेट तभी दूंगा जब पैसे दोगे।" मैने मेरी 06 भैसों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में श्री दिव्यम जाजोरिया से पूछा तो उन्होनें मुझे 600 रूपये प्रति भैंस के हिसाब से 3600 रूपये रिश्वत राशि देने के लिए कहकर श्री दिव्यम जाजोरिया ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुपालकों के पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए 350 रूपये प्रति पशु के हिसाब से देने के लिए भी कहा और कहा कि संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया ने सभी पशुपालको से प्रति पशु 600 रूपये के हिसाब से रूपये इकट्ठा करने के लिए कहा हैं जिसमें 2-3 दिन का समय लगने की सम्भावना हैं। मैं, सभी पशुपालको से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके प्रति पशु 600 रूपये के हिसाब से रूपये इकट्ठे करूंगा और प्रत्येक पशु पालक को जन आधार कार्ड/आधार कार्ड की प्रति साथ में रखने हेतु पाबन्द करूंगा। जैसे ही सभी पशुपालको के रूपये मेरे पास पहुंच जायेगे तो मैं

तुरन्त आपसे सम्पर्क कर आगे की कार्यवाही करवाउंगा।" तथा परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि " उक्त वार्ता को मैने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया।" इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को कानि0 श्री हेमराज के साथ ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मुझे किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना हैं इसलिए मैं ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित नहीं हो पाउंगा तो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर को संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया की मांग अनुसार पशुपालको से प्रति पशु 600 रूपये के हिसाब से रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने एवं मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने बाबत् आवश्यक हिदायत दी गई। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि0 श्री हेमराज नम्बर 306 को परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूखसत करने एवं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के साथ ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समय 04.00 पी.एम. पर कानि0 श्री हेमराज नं. 306 अपनी निजी मोटर साईकिल से ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया और डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर हालात निवेदन किये कि "मैं कानि0 निर्देशानुसार मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के समय 09.55 ए.एम. पर अपनी निजी मोटरसाईकिल से ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से रवाना हो समय 11.50 एएम पर कस्बा कुम्भलगढ में कुम्भलगढ से उदयपुर की तरफ जाने वाले आम रास्ते के किनारे स्थित इण्डियन ऑईल पेट्रोल पम्प के पास पहुंच परिवादी से सम्पर्क किया जिसके थोडी ही देर बाद परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर व श्री बाबुलाल गुर्जर बोलेरो वाहन से वहां पर उपस्थित आयें और परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने मुझ कानि0 को बताया कि "श्री बाबुलाल गुर्जर इस कार्यवाही में मेरे साथ उपस्थित रहेंगे लेकिन जब मैं संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया से वार्ता करने जाउंगा उस समय श्री बाबुलाल गुर्जर मेरे साथ नहीं जायेंगे।" तत्पष्चात परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल आया जिस पर परिवादी के मोबाईल फोन को लाउड स्पीकर पर रखकर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर व श्री दिव्यम जाजोरिया के मध्य हुई उक्त मोबाईल कॉल वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त मोबाईल कॉल वार्ता में संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया ने परिवादी से पूछा कि कहां पर हो और कितनी देर में आ रहे हो इस पर परिवादी ने 10-15 में पहुंचने की कहा। इसके पश्चात परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने मुझ कानि0 को बताया कि आज मेरी संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया से मोबाईल पर बात हुई थी जिसमें उन्होंने मुझे आज कुम्भलगढ स्थित पशु चिकित्यालय में बुलाया हैं और संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया भी वहीं पर मिल जायेगा और उससे रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता भी हो सकती हैं। इसके पश्चात मुझ कानि0 द्वारा परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की समझाईश कर समय 12.23 पी.एम. पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया पशु चिकित्सक से अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर व श्री बाबुलाल गुर्जर को बोलेरो वाहन से आगे-आगे रवाना करते हुए मैं कानि0 परिवादी के पीछे-पीछे अपनी निजी मोटर साईकिल से रवाना हो कुम्भलगढ स्थित पशु चिकित्सालय के बाहर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर बोलेरो वाहन से नीचे उतरकर पशु चिकित्सालय के अन्दर चला गया और श्री बाबुलाल गुर्जर बोलेरो वाहन के अन्दर ही बैठे रहे और मैं कानि0 पशु चिकित्यालय के बाहर ही अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम हुआ। करीब 25-30 मिनट बाद परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर पशु चिकित्सालय कुम्भलगढ से बाहर आया और बोलेरो वाहन के अन्दर बैठ गया तथा मैं कानि0 भी परिवादी के बोलेरो वाहन के अन्दर आकर बैठ गया जहां पर परिवादी ने मुझ कानि0 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मुझ कानि0 को बताया कि "मैं पशु चिकित्सालय कुम्भलगढ के अन्दर गया तथा श्री दिव्यम जाजोरिया से मिला और मेरी व मेरे गांव/पडौसी गांव के अलग-अलग व्यक्तियों की भैसों के कानों पर टैग लगवाने व भैसों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में श्री दिव्यम जाजोरिया से वार्ता की तो श्री दिव्यम जाजोरिया ने पहले तो प्रति भैंस 700 रूपये के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की और मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करने की कहने पर 600 रूपये प्रति भैंस के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की और कहा कि जिन व्यक्तियों की भैसों के कानों पर टैग लगवाना हैं और जिन व्यक्तियों की भैसों के कानों पर टैग लग चुके हैं उन सभी से 600 रूपये के हिसाब से रूपये इकट्टे करके साथ में उनका जन आधार कार्ड/आधार कार्ड लेके आ जाओं, मैं जिन भैसों के कानों पर टैग नहीं लगे हैं उनके टैग लगवाकर सभी भैसों का हाथों हाथ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दे दूंगा, आप हाथों हाथ पैसे दे देना और मैं हाथों हाथ सर्टिफिकेट दे दूंगा, मैं 600 रूपये के अलावा और कुछ नहीं लूंगा और सर्टिफिकेट तभी दूंगा जब पैसे दोगे। मैने मेरी 06 भैसों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में श्री दिव्यम जाजोरिया से पूछा तो उन्होनें मुझे 600 रूपये प्रति भैंस के हिसाब से 3600 रूपये रिश्वत राशि देने के लिए कहा हैं। इसके अलावा श्री दिव्यम जाजोरिया ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुपालकों के पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए 350 रूपये प्रति पशु के हिसाब से देने के लिए भी कहा हैं। उक्त वार्ता को मैने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया हैं ।" इसके पश्चात मैंने मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से आप श्रीमान के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर हालात निवेदन किये और मेरे मोबाईल फोन से श्रीमान की परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर से वार्ता भी करवाई थी तथा

निर्देशानुसार परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया था तथा मैं कानि0 अपनी निजी मोटर साईकिल से कुम्भलगढ से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया हुं।" उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दिनांक 10.01.2025 को रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर व कानि. श्री हेमराज द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद होकर रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होना तथा श्री दिव्यम जाजोरिया द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुपालकों के पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए 350 रूपये प्रति पशु के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को सुरक्षित हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की अलमारी में श्री हेमराज कानि0 नं0 306 से रखवाया गया। दिनांक 13.01.2025 को समय 12.34 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर से जरिए मोबाईल हुई वार्ता पर परिवादी ने बताया कि "मैंने संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया पशु चिकित्सक की मांग के अनुसार श्री किशनलाल गुर्जर की 04 भैंसे, श्री सज्जन गुर्जर की 04 भैंसे, श्री बाबुलाल गुर्जर की 05 भैंसे, श्री छगन गुर्जर की 02 भैंसे व मेरी 06 भैंसों के 600 रूपये के हिसाब से रिश्वत राशि 12,600 रूपये की व्यवस्था कर ली हैं। मैंने अपने गोपनीय सूत्रों से पता किया हैं कि श्री दिव्यम जाजोरिया पशु चिकित्सक आज पशु चिकित्सालय कुम्भलगढ में मिल सकते हैं और उनसे रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में वार्ता हो सकती हैं।" इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु कहा गया तो परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर आउंगा और फिर वापस कुम्भलगढ आयेंगे तब तक श्री दिव्यम जाजोरिया अपने कार्यालय से निकल जायेगा और उससे रिश्वत लेनदेन वार्ता नहीं हो पायेगी इसलिए आप अपनी टीम के साथ कुम्भलगढ आ जाओं मैं आपको वहीं पर मिल जाउंगा। " इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया की मांग के अनुसार रिश्वत राशि की व्यवस्था के साथ फूटा देवल के आस-पास किसी सुरक्षित स्थान पर मिलनें व मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत दी। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के समस्त जाब्ते को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देशित किया तथा अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय राजसमन्द को जरिये तेहरीर पत्र वाहक दो स्वतंत्र गवाहान की तलब करने पर दो स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार शर्मा हाल व्याख्याता (शा.शि) श्री बालकृष्ण विद्या भवन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकरोली जिला राजसमन्द एवं श्री जगदीश कश्यप हाल व्याख्याता (कृषि) श्री बालकृष्ण विद्या भवन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकरोली जिला राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिन्हें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बिठाया गया तथा तेहरीर की रसीदन प्रति पत्र वाहक द्वारा प्रस्तुत करने पर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात दिनांक 13.01.2025 समय 01.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में उपस्थित दोनो ही स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार शर्मा हाल व्याख्याता (शा.शि.) श्री बालकृष्ण विद्या भवन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकरोली जिला राजसमन्द एवं श्री जगदीश कश्यप हाल व्याख्याता (कृषि) श्री बालकृष्ण विद्या भवन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कांकरोली जिला राजसमन्द से परिचय किया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के अलमारी से निकलवाया जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर द्वारा दिनांक 16.12.2024 को प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को अवगत कराकर अब तक की कार्यवाही के समस्त हालात के बारे में बताया गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु सहमति चाही गई, जिस पर हर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी सहमति दी। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान को यह भी बताया कि परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर निर्देशानुसार कुम्भलगढ के पास फूटा देवल स्थान पर उपस्थित मिलेगा जिसके मिलने पर ही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होगा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगे हुये को सुरक्षित अवस्था में अपने पास ही रख कर श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी को निकलवाकर श्री भूपेन्द्र कानि0 को सुरक्षित अवस्था में देने हेतु निर्देशित किया तथा श्री भूपेन्द्र कानि0 को भी श्रीमती तारा महिला कानि0 से उक्त फिनोफ्थेलीन पाउडर की शिशी लेकर सुरक्षित अपने पास ही रखने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात समय 01.45 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि0 श्री भंवरदान नम्बर 414 को श्री प्रदीप सिंह कानि. नम्बर 162 के साथ उसकी निजी मोटर साईकिल से कुम्भलगढ के पास स्थित फूटा देवल की तरफ रवाना करते हुए पीछे-पीछे मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार शर्मा व जगदीश कश्यप मय ब्यूरो जाब्ता श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन के व श्री भूपेन्द्र कानि0 नम्बर 305 मय फिनोफ्थेलीन पाउडर की शिशी के तथा मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कुम्भलगढ के पास स्थित फूटा देवल की तरफ रवाना हो समय 03.15 पी.एम. पर कुम्भलगढ के पास स्थित फूटा देवल स्थान पर पहुंचे तथा मोटरसाईकिल/सरकारी वाहन को साईड में खडे करवाये तभी परिवादी श्री रोशन लाल

गुर्जर भी अपनी निजी प्राईवेट कार से मुकिम स्थल पर उपस्थित आया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाह श्री कमलेश कुमार शर्मा व्याख्याता (शारीरिक शिक्षा) एवं श्री जगदीश कश्यप व्याख्याता (कृषि) व परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर का आपस में परिचय करवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर द्वारा दिनांक 16.12.2024 को ब्यूरो कार्यालय पर प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र जो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास ही सुरक्षित रखा था जिसे पढकर सुनाया व पढ़ाया गया तो परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने स्वयं द्वारा दिनांक 16.12.2024 को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर उक्त हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार करते हुये शब्द-ब-शब्द सही होना बताया। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक जानकारी व पूछताछ कर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें लगे मेमेारी कार्ड में दिनांक 16.12.2024 को रिकॉर्डशुदा मोबाईल व्हाट्सएप्प वॉईस कॉल वार्ताए एवं दिनांक 10.01.2025 को रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर उक्त वार्ताए दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो हर दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। तत्पश्चात समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "श्री दिव्यम जाजोरिया पशु चिकित्सक की मांग के अनुसार श्री किशनलाल गुर्जर की 04 भैंसे, श्री सज्जन गुर्जर की 04 भैंसे, श्री बाबुलाल गुर्जर की 05 भैंसे, श्री छगन गुर्जर की 02 भैंसे व मेरी 06 भैंसों सहित कुल 21 भैसों के 600 रूपये के हिसाब से कुल रिश्वत राशि 12,600 रूपये की व्यवस्था कर ली हैं जो अभी मेरे पास ही हैं। श्री दिव्यम जाजोरिया के फोन लग नहीं रहा हैं, मैने गोपनीय रूप से श्री दिव्यम जाजोरिया की लोकेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी को पशु चिकित्सालय कुम्भलगढ भिजवाया हैं जो पता करके तुरन्त मुझे फोन करके बता देगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के फोन के आने के इन्तजार में मुकिम रहे। इसके उपरांत समय 04.05 पीएम पर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "मैने गोपनीय रूप से संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया की लोकेशन जानने हेतु किसी को पशु चिकित्सालय भिजवाया था जिसने पता करके मुझे फोन कर बताया कि श्री दिव्यम जाजोरिया कहीं निकल गया हैं जो अभी पशु चिकित्सालय में नहीं हैं और दिव्यम जाजोरिया रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए मेरे मोबाईल फोन पर कॉल अवश्य करेगा।" इस पर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर के बताये अनुसार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया के कॉल आने के इन्तजार में मुकिम रहे। इसके उपरांत समय 04.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों ही स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड में परिवादी व आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया के मध्य दिनांक 16.12.2024 को हुई मोबाईल व्हाट्सएप्प वॉईस कॉल वार्ता रिकॉर्ड होने से उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उपरोक्त वार्ताओं (कुल 02 वार्ताओं) को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओं की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री भूपेन्द्र कानि0 नम्बर 305 द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 05.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों ही स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड में परिवादी एवं आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया के मध्य दिनांक 10.01.2025 को हुई मोबाईल वार्ता/रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता रिकॉर्ड होने से उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उपरोक्त वार्ताओं (कुल 02 वार्ताओं) को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ताओं की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री भंवर दान कानि0 नम्बर 414 द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "सांय काल का समय हो गया हैं अब श्री दिव्यम जाजोरिया मुझे कॉल नहीं करेगा। मैने अपने गोपनीय सूत्रों से पता किया हैं कि श्री दिव्यम जाजोरिया कल दिनांक 14.01.2025 को अपनी टीम के साथ मेरे गांव दुदालिया में आयेगा और पशुपालकों के घर-घर जाकर भैसों के कानों पर टैग लगाकर भैसों का हाथों हाथ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेगा और वह मेरे घर पर भी आयेगा और मेरी भैसों के कानों पर टैग लगाकर भैसों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेगा इसलिए आप अपनी टीम के साथ कल वैरों का मठ पहुंच जाना मैं आपको वहीं पर मिल जाउंगा।" इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर को दिनांक 14.01.2025 को समय 10.30 एएम पर रिश्वत राशि 12,600 रूपये के साथ वैरों का मठ के पास किसी सुरक्षित स्थान पर मिलने व मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत कर परिवादी को रूखसत किया तथा समय 07.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि0 श्री भंवरदान नम्बर 414 को श्री प्रदीप सिंह कानि. नम्बर 162 के साथ उसकी निजी मोटर साईकिल से ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द के लिये रवाना कर पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार शर्मा व श्री जगदीश कश्यप मय ब्यूरो जाब्ता श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन के व श्री भूपेन्द्र कानि0 नम्बर 305 मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशि

के तथा मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 के मुकिम स्थल से रवाना हो समय 09.00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित आये तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड को व फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशि को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखवाकर उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 14.01.2025 को समय 08.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने व मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 14.01.2025 को समय 08.00 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार शर्मा व श्री जगदीश कश्यप ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठा ब्यूरो कार्यालय की श्रीमती तारा महिला कानि0 नं0 259 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखी हुई फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशि को निकलवाकर श्री भूपेन्द्र कानि0 को सुरक्षित अवस्था में देने हेतु निर्देशित किया तथा श्री भूपेन्द्र कानि0 को भी निर्देशित किया। तत्पश्चात समय 08.20 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को निकालकर अपने पास सुरक्षित रखते हुए ब्यूरो कार्यालय के श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता म0 हैड कानि0 नम्बर 233, श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306, श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414, श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक व श्री भूपेन्द्र कानि0 नम्बर 305 मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशि के मय प्राईवेट वाहन के वैरों का मठ की तरफ रवाना करते हुए पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार शर्मा व श्री जगदीश कश्यप मय ब्यूरो जाब्ता कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन के तथा मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 मय चालक श्री मनोज कुमार कानि0 नम्बर 23 के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु वैरों का मठ की तरफ रवाना हो समय 10.40 एएम पर वैरों का मठ के पास सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपने-अपने प्राईवेट/सरकारी वाहन को रोड के किनारे साईड में खडे किये तथा पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर भी अपनी निजी कार से वहां पर उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया अपनी टीम के साथ पशुपालकों की भैसों के कानों पर टैग लगाने व भैसों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मेरे गांव दुदालिया आयेगा, गांव के सभी पशुपालकों की भैसों के कानों पर टैग लगाते हुए मेरे घर पर भी आयेगा और भैसों के कानों पर टैग लगाने के बाद रिश्वत राशि प्राप्त होने पर ही सभी पशुपालकों की भैसों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करके देगा। श्री दिव्यम जाजोरिया को रिश्वत राशि नहीं देंगे तो वह किसी भी पशुपालक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करके नहीं देगा। श्री दिव्यम जाजोरिया मेरे गांव के अन्य पशुपालकों की भैसों के टेग लगाते हुए मेरे घर पर आने से पहले ही हम सभी वहां पर पहुंच जायेगे क्योंकि श्री दिव्यम जाजोरिया अन्त में मेरी भैसों के कानों पर टैग लगायेगा और रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात सभी पशुपालकों की भैसों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करके देगा। श्री दिव्यम जाजोरिया गांव दुदालिया में घर-घर जाकर भैसों के कानों पर टैग लगाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर रहा हैं, वह कार्य में व्यस्त होने से मेरे द्वारा किसी अन्य स्थान पर बुलाने पर भी नहीं आयेगा और मुझसे नही मिलेगा इसलिए मैं घर पर जाउंगा तो श्री दिव्यम जाजोरिया मुझे वहां पर मिल जायेगा और उससे वार्ता भी हो जायेगी।" तत्पश्चात समय 10.50 ए.एम पर स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार व श्री जगदीश कश्यप के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "श्री दिव्यम जाजोरिया पशु चिकित्सक की मांग के अनुसार पशुपालक श्री किशनलाल गुर्जर की 04 भैंसे, श्री सज्जन गुर्जर की 04 भैंसे, श्री बाबुलाल गुर्जर की 05 भैंसे, श्री छगन गुर्जर की 02 भैंसे व मेरी 06 भैंसों सहित कुल 21 भैसों के 600 रूपये के हिसाब से कुल रिश्वत राशि 12,600 रूपये की व्यवस्था ही हो पाई तथा शैष पशुपालकों ने पैसे नहीं दिये हैं। परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 25 नोट राशि 12,500/-रूपये तथा 100 रूपये का 01 नोट राशि 100/- इस प्रकार कुल राशि 12,600 रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 25 नोट व 100 रूपये का 01 नोट जिनके नोटों के नम्बर निम्नानुसार हैः- 1 100 रूपये का एक नोट नम्बर 7MM 716101, 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5WN 044462, 3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5RS 255882, 4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7BN 417849, 5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3DK 656149, 6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2QS 233268, 7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5QF 102501, 8 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7EG 470835, 9 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6BF 330153, 10 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5BR 545210, 11 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6WE 573709, 12 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5LQ 376909, 13 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3WP 712831, 14 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4VW 026428, 15 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7FP 150906, 16 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0MT 979108, 17 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9PG 715333, 18 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7RN 050980, 19 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0DK 138457, 20 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0EG 732432, 21 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5BP 341587, 22 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0LN 140563, 23 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3UE 391855, 24 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4LM 958681, 25 500 रूपये का

एक नोट नम्बर 2AR 930030, 26 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7BK 677510 उपरोक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगाने हेतु उपस्थित ब्यूरो टीम के सदस्य श्री भूपेन्द्र कानि0 नं. 305 को बुलाकर उससे फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी जो कि पूर्व निर्देशानुसार उसके पास ही रखी थी, में से सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 की बीच की सीट पर अखबार बिछा कर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोट जो परिवादी द्वारा पेश किये गये जिनके दोनो ओर श्री भूपेन्द्र कानि0नं0 305 से उक्त फिनोफ्थेलीन पाउडर निकलवाकर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश कश्यप से लिवाई जाकर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगे सभी नोटो को परिवादी के शरीर पर पहनी हुई पेण्ट की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्री भूपेन्द्र कानि0 से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में सरकारी वाहन स्विफ्ट कार में रखे पानी के केम्पर से साफ पानी भरवा कर इसमें श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं. 117 से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया और उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री भूपेन्द्र कानि0 के हाथ के अंगुठो व अंगुलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों के अंगुठो व अंगुलियों पर लग जाएगा और जब आरोपी के हाथों के अंगुठो व अंगुलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जायेगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री भूपेन्द्र कानि0 नम्बर 305 से वाहन के बाहर रोड के किनारे गंदे पानी की नाली में फिकवा कर अखबार जिस पर नोटो के पाउडर लगवाया गया जिसे तथा डिस्पोजल गिलास जिसमें फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित की गई थी जिसे भी जलवा कर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री भूपेन्द्र कानि0 को अपने पास ही सुरक्षित अवस्था में रखने की हिदायत दी गई। इसके पश्चात टे्प पार्टी के सभी सदस्यों से परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर का परिचय कराकर परिवादी को यह हिदायत दी गई कि "वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवें तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुये। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करें तथा रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करने हेतु निर्देशित कर यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को भी समझाकर स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके उपरान्त ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाकर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर को बंद अवस्था में सुरक्षित सुपूर्द कर संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया से रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करने व आरोपी से होने वाली वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत दी गई तथा श्री भूपेन्द्र कानि0 305 को फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को ब्यूरो कार्यालय में सुरक्षित रखने व ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द में ही रूकने हेतु निर्देशित किया जाकर मुकिम स्थल से रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपूर्दगी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 11.45 एएम पर अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही के क्रम में गांव दुदालिया स्थित परिवादी के मकान पर जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262 को परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर के साथ परिवादी की निजी कार से तथा ब्यूरो कार्यालय के श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता म0 हैड कानि0 नम्बर 233, श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306, श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 व श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक को मय प्राईवेट वाहन के गांव दुदालिया की तरफ रवाना करते हुए पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार शर्मा व श्री जगदीश कश्यप मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन के तथा मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 मय चालक श्री मनोज कुमार कानि0 नम्बर 23 के मुकिम स्थल से गांव दुदालिया की तरफ रवाना हो समय 12.10 पी.एम. पर गांव दुदालिया में परिवादी के मकान के पास पहुंचकर प्राईवेट/सरकारी वाहन को साईड में खडा किया गया। तथा परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "यह इलाका गुर्जर बस्ती के नाम से जाना जाता हैं और यहा पर सभी मकान मेरे परिवार वालों के ही हैं तथा संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया अपनी टीम के साथ भैसों के कानों पर टैग लगाते हुए अभी तक मेरे मकान तक नहीं पहुंचा हैं, जो मेरे मकान की तरफ आयेगा तो मुझे तुरन्त इसकी सूचना मिल जायेगी और मैं आपको बता दूंगा।" इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता के समक्ष परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर को श्री दिव्यम जाजोरिया द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात खुले चोक में आकर अपने सिर पर दोनों हाथ

फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारे करने हेतु आवश्यक हिदायत दी गई तथा स्वतंत्र गवाहान व हमराहियान ब्यूरो जाब्ता को भी इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया। तत्पश्चात उक्त गुर्जर बस्ती में लोगों की आवाजाही होने व आस-पास छुपाव हासिल करने हेतु सुरक्षित स्थान का अभाव होने से परिवादी के बताये अनुसार परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर के मकान के प्रथम तल पर श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक, स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश कश्यप को तथा पास ही स्थित भैसों के बाडे के पीछे ब्यूरो जाब्ता के श्री गोविन्द नारायण हैड कानि नम्बर 117 व श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 को भिजवाते हुए अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाने व परिवादी के निर्धारित इशारे को देखने व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित करते हुए रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर, स्वतंत्र गवाह श्री कमलेश कुमार, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 व श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 परिवादी के बडे पापा श्री शंकर लाल के मकान के प्रथम तल के बरामदे में अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया व उसकी टीम के आने के इन्तजार में मुकिम रहा। तत्पश्चात परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "मेरे भाई विक्रम गुर्जर ने मुझे फोन कर बताया कि श्री दिव्यम जाजोरिया अपनी टीम के साथ अपने मकान की तरफ ही आ रहा हैं। इसलिए मुझे अब श्री दिव्यम जाजोरिया से वार्ता करने हेतु नीचे खुले चौक की तरफ जाना चाहिए।" इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर को उसके पास रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को समय 01.45 पी0एम0 पर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर से चालू करवा संदिग्ध श्री दिव्यम जाजोरिया से अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता करने हेतु परिवादी के बडे पापा के मकान के नीचे खुले चौक की तरफ रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। तत्पश्चात समय 02.23 पी.एम. पर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने अपने बडे पिताजी श्री शंकर लाल गुर्जर के गांव दुदालिया में स्थित मकान के बाहर स्थित खुला चौक में आकर आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया पशु चिकित्साधिकारी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूर्व निर्धारित ईशारा (अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर) किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हमराह उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार शर्मा व श्री जगदीश कश्यप तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री गोविन्दनारायण हैड कानि0 नं0 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्री भंवरदान कानि0 नं0 414, श्री हेमराज कानि0 नं0 306, श्री यशवंत सिंह वरिष्ठ सहायक के तेज-तेज कदमों से चलते हुए परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर के पास पहुंचे जहां पर परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जो बन्द था, जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर ने अपने पास ही कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि "यहीं श्री दिव्यम जाजोरिया पशु चिकित्साधिकारी हैं जिनकी मांग अनुसार मैने अभी-अभी रिश्वत राशि 12,600 रूपये दिए जो डॉ0 दिव्यम जाजोरिया ने स्वयं नहीं लेकर परिवादी के पास ही खडें व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि तरूण गमेती को दे दो, इस पर मैंने यह राशि तरूण गमेती को दे दी, तरूण गमेती ने उक्त राशि अपने हाथ में लेकर अपना पहना हुआ पायजामा (लॉवर) की सामने की दाहिनी साईड की चेन वाली जेब में रखी है।" जिस पर आरोपी श्री तरूण कुमार गमेती का एक हाथ श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं. 262 एवं दूसरा हाथ श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नं0 117 ने कलाई से उपर पकडा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम डॉ0 दिव्यम जाजोरिया पुत्र श्री अनिल कुमार झाझोरियों उम्र 32 वर्ष, जाति रेगर निवासी मकान नम्बर सी-669, कांता खतूरिया कॉलोनी, अमित स्टुडियो के पीछे, पुलिस थाना जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर हाल पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय रिछेड अतिरिक्त चार्ज राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द मोबाईल नं. [redacted] एवं दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री तरूण कुमार गमेती पिता पिथाराम उम्र 28 वर्ष, जाति गमेती निवासी गंगलाया मोहल्ला केलवाडा जिला राजसमन्द हाल ड्राईवर (संविदा कमी) मोबाईल युनिट वैन कुम्भलगढ (केलवाडा) मोबाईल नं. [redacted]होना बताया। आरोपी डॉ. दिव्यम जाजोरिया के पास ही खडे व्यक्ति को उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री बिन्टु प्रजापत पुत्र श्री लीलाराम उम्र 24 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी चांदपुरी पुलिस थाना नारायणपुर तहसील थाना गाजी अलवर जिला अलवर हाल किराये का मकान निवासी ढेडकी मोहल्ला पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द हाल कम्पाउण्डर (संविदा कमी) मोबाईल युनिट वैन कुम्भलगढ (केलवाडा) मोबाईल नं. [redacted]होना बताया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ब्यूरो जाब्ता के समक्ष आरोपी डॉ0 दिव्यम जाजोरिया को परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर से रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो आरोपी डॉ0 दिव्यम जाजोरिया ने कहा कि श्री रोशन लाल मेरे को आकर रिश्वत राशि दे रहे थे जो मैंने कहा आपको जो भी देना है मेरे ड्राईवर को दे दो, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मुझे लेने ही नहीं है, जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने इस बाबत परिवादी से पुछा तो परिवादी ने बताया कि मैंने डॉ0 साहब से कहा कि मुझे लेबर के लिए जाना है लेट हो रहा हूं, मुझे डॉ0 साहब ने पहले बोला था एक पशु के 600 रूपये, मैंने डॉ0 साहब से कहा कि पशुओं के सर्टीफिकेट बनाने के लिए, 21 पशुओं के मेरे पास पैसे आये है 12,600 रूपये, उक्त रिश्वत राशि देने के लिए कहा तो, डॉ0

साहब ने कहा कि मेरे को मत दो इनको दो तरूण को, जिस पर मैने उक्त रिश्वत राशि डॉ0 साहब के कहने से तरूण को दे दी। परिवादी ने बताया कि श्री तरूण गमेती ने रिश्वत राशि लेकर अपना पहना हुआ पायजामा (लॉवर) की सामने की दाहिनी साईड की चेन वाली जेब में रखी। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री कमलेश कुमार शर्मा से तरूण कुमार गमेती की जामा तलाशी लिवायी गयी तो स्वतंत्र गवाह श्री कमलेश कुमार शर्मा ने तरूण कुमार का पहना हुआ पायजामा (लॉवर) की सामने की दाहिनी साईड की चेन वाली जेब में कुछ रूपये मिले। जिसे स्वतंत्र गवाह श्री कमलेश कुमार से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये (भारतीय चलन मुद्रा) के 25 नोट एवं 100 रूपये का एक नोट कुल राशि 12,600 रूपये होना बताया। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह श्री कमलेश कुमार को अपने पास सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाई गई। ततपश्चात मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री तरूण कुमार गमेती से बरामद शुदा रिश्वत राशि के संबंध में आरोपी डॉ0 दिव्यम से पुछा गया तो डॉ0 दिव्यम ने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, रोशन लाल गुर्जर ने दिये, मैने कहा मुझे नहीं चाहिये, जिस पर परिवादी ने स्वतः ही कहा कि सर ने बोला कि एक काम करो, मेरो को मत दो, तरूण को देने के लिए कहा, मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से पुछने पर परिवादी ने बताया कि मैं जब यहां आया, 20 वा सर्टीफिकेट बन रहा था, मैने कहा 21 के पैसे हुए है, 21 के पैसे पकड लो, मै कही जाकर आ रहा हूं तब तक दुसरे बाकी है जो भी बन जायेगे, तब सर ने कहा कल ओर रख लेगे कोटडा वाला, मैने कहा आज ही रख लो, पहले ही 2 महिने से वैट कर रहे है। मैंने रिश्वत राशि के लिए कहा तो सर ने कहा मुझे मत दो, तरूण को देने के लिए कहा जिस पर मैंने तरूण को रूपये दिए जो तरूण ने जेब में रखे थे। जिस पर आरोपी ने कहा मैने नहीं बोला। जिस पर श्री बिन्दु प्रजापत कम्पाउण्डर से रिश्वत राशि श्री तरूण गमेती को देने बाबत पुछा गया तो श्री बिन्दु प्रजापत ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं मवेशीयों के कानों पर टैग लगा रहा था। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश कश्यप से डॉ0 दिव्यम जाजोरिया की जामा तलाशी लिवायी गयी तो आरोपी के पास एक मोबाईल मिला। जिसे आरोपी के परिजन के आने पर सिपूर्द किया जायेगा। तथा आरोपी डॉ0 दिव्यम के हाथ में एक लाल रंग का फाईल पैड मिला। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चालू कर आज दिनांक 14.01.2025 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता होना पाया गया। उक्त रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट अकब से मुर्तिब की जावेगी। चूंकि परिवादी के बडे पिताजी श्री शंकर लाल गुर्जर के घर के बाहर अधिक भीडभाड होने से आरोपी डॉ0 दिव्यम एवं श्री तरूण कुमार को यथास्थिति परिवादी के बडे पिताजी श्री शंकर लाल गुर्जर के मकान के अन्दर ले जाकर अग्रिम हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं. 117 से सरकारी गाडी में रखे ट्रेप बॉक्स मंगवा कर श्री गोविन्द नारायण हैड कानि.से ट्रेप बॉक्स में से दो डिस्पोजल के गिलासों में अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री तरूण कुमार गमेती के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियो को सिल-चिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री तरूण के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियो को सिल-चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् तरूण कुमार का पहना हुआ पायजामा (लॉवर) की सामने की दाहिनी जेब में मिले 500-500 रूपये (भारतीय चलन मुद्रा) के 25 नोट एवं 100 रूपये का एक नोट कुल राशि 12,600 को दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी अनुसार समान पाये गये। उपरोक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी डॉ0 दिव्यम जाजोरिया से परिवादी व अन्य व्यक्तियों के मवेशी/पशु के कानों पर टैग लगवाने व मवेशी/पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में प्रति मवेशी/पशु 700 रूपये के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग करना जिस पर परिवादी द्वारा कुछ कम करने की कहने पर प्रति मवेशी/पशु 600 रूपये के हिसाब से रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना एवं मांग अनुसार आज दिनांक 14.01.2025 को रिश्वत राशि 12,600 रूपये परिवादी से श्री तरूण गमेती को दिलाने के सम्बन्ध में आरोपी डॉ0 दिव्यम जाजोरिया से पूछा गया तो आरोपी डॉ0 दिव्यम ने अपने दोनो हाथ जोडकर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को कहा कि "सर मुझे माफ कर दो, मेरा प्रोबेषन चल रहा है, मेरी मदद करो।" तथा आरोपी श्री तरूण कुमार गमेती से उक्त रिश्वत राशि बाबत पुछा गया तो श्री तरूण कुमार गमेती ने कहा कि उक्त रूपये मैंने डॉ. श्री दिव्यम जाजोरिया के कहने पर लिए है। मुझे नही पता यह राशि किस लिए ली है। मुझे माफ कर दो। तत्पश्चात आरोपी श्री तरूण कुमार का पहना हुआ काले रंग का पायजामा (लॉवर) की सामने की दाहिनी साईड की चेन वाली जेब से 12,600 रूपये बरामद होने से पहना हुआ पायजामा (लॉवर) को ससम्मान

खुलवाकर दूसरी केफ्री (हाफ लॉवर) पहनायी जाकर उक्त पायजामा (लॉवर) की सामने की दाहिनी साईड की चेन वाली जेब को उलटवाकर धुलवाने हेतु हैड कानि0 गोविन्द नारायण नं0 117 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ डिस्पोजल गिलास निकलवा कर उसे साफ पानी से धुलवा कर उसमें पुनः साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर में डलवाया जाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त गिलास में रखे रंगहीन घोल में उक्त पायजामा (लॉवर) की सामने की दाहिनी साईड की चेन वाली जेब को उलटवाई हुई को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब का धौवण हल्का गुलाबी हो गया। उक्त घोल को दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरवाकर सीलचिट कर धौवण की शिशियों को मार्क क्रमश P-1 व P-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त पायजामा (लॉवर) की सामने की दाहिनी साईड की चेन वाली जेब को धोकर, सुखा कर, उक्त जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा, उक्त पायजामा (लॉवर) को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सिलचिट कर मार्क 'P' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिए मोबाईल हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष आरोपी डॉ. दिव्यम जाजोरिया को परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर एवं अन्य व्यक्तियों के मवेशी/पशु के टैग लगाने एवं मवेशी/पशु के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने बाबत दस्तावेज चाहे गए तो आरोपी ने अपने पास एक लाल रंग फाईल पेड में से पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पेश किए जिनका अवलोकन किया गया तो डॉ दिव्यम जाजोरिया ने आज दिनांक 14.01.2025 में (1) श्रीमती हुलास बाई पत्नि श्री छगनलाल गुर्जर निवासी खेडा गुर्जरो का वरदडा, केलवाडा जिला राजसमन्द के 3 पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मय पहचान पत्र किता-05 (2) श्री चैनाराम भील पुत्र श्री सरूप राम भील निवासी दुदालिया, केलवाडा जिला राजसमन्द के 3 पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मय पहचान पत्र किता-05 (3) श्रीमती तेजकी बाई पत्नि श्री लालु राम निवासी दुदालिया, केलवाडा जिला राजसमन्द के 2 पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मय पहचान पत्र किता-04, (4) श्रीमती देवली बाई पत्नि श्री लखा राम भील निवासी दुदालिया, केलवाडा जिला राजसमन्द के 03 पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मय पहचान पत्र किता-05 (5) श्री किशन लाल भुराजी गुर्जर पुत्र श्री भुराजी गुर्जर निवासी दुदालिया, केलवाडा जिला राजसमन्द के 4 पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मय पहचान पत्र किता-06, (6) श्रीमती रेखा बाई पत्नि श्री बाबुलाल गुर्जर निवासी वरदडा पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द के 05 पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मय पहचान पत्र किता-07, (7) श्रीमती रसदा बाई पत्नि श्री सज्जन लाल निवासी दुदालिया पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द के 05 पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मय पहचान पत्र किता-07, (8) श्रीमती टमु बाई पत्नि श्री पप्प लाल गुर्जर निवासी दुदालिया पुलिस थाना केलवाडा जिला राजसमन्द के 01 पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र किता-01, इस प्रकार कुल 26 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिस पर आरोपी डॉ. दिव्यम के हस्ताक्षर है, उक्त सर्टीफिकेट पर सील लगी हुई नहीं है। उक्त सर्टीफिकेट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरो लिया गया। इस प्रकार आरोपी डॉ0 दिव्यम जाजोरिया हाल पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय रिछेड अतिरिक्त चार्ज राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द एवं श्री तरूण कुमार गमेती हाल ड्राईवर (संविदा कर्मी) मोबाईल युनिट वैन कुम्भलगढ के विरूद् धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता-2023 का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया गया। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप पर समय करीब 04.05 पी.एम. पर समाप्त कर उक्त बरामदगी श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233 से टाईप करवाई गई तथा उक्त बरामदगी की कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री भंवरदान कानि0 के द्वारा अपने मोबाईल फोन (ऑपो कम्पनी) में कार्यालय से साथ लाये Geonix 32 GB Micro SD एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड लगाकर की गई। उक्त कार्यवाही फर्द जब्ती पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरांत समय 04.10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश शर्मा व श्री जगदीश कश्यप के समक्ष परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण घटनास्थल पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 04.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 को परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर के साथ परिवादी की निजी कार से तथा ब्यूरो कार्यालय के श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता म0 हैड कानि0 नम्बर 233, स्वतंत्र गवाह श्री कमलेश कुमार शर्मा, श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 मय आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया मय प्राईवेट वाहन के एसीबी चौकी राजसमन्द के लिए रवाना करते हुए पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश कश्यप, श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306, मय आरोपी श्री तरूण गमेती मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक संसाधन मय मालखाना आर्टीकल्स, जप्त शुदा रिश्वत राशि मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 मय चालक श्री मनोज कुमार कानि0 नम्बर 23 के एसीबी चौकी राजसमन्द के लिये रवाना होकर समय 06.50 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित आये। तथा अब तक की कार्यवाही में जब्त शुदा समस्त आर्टिकल कार्यालय मे सुरक्षित रखवाये जाकर समय 07.20 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि0 श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 व श्री प्रदीप सिंह कानि0 नम्बर 162 को उसकी निजी मोटरसाईकिल से तथा मन् अतिरिक्त पुलिस पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश शर्मा, श्री जगदीश कश्यप मय ब्यूरो जाब्ता श्री यशवन्त

सिंह वरिष्ठ सहायक मय आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 मय चालक श्री मनोज कुमार कानि0 नम्बर 23 के आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया के कालाजी-गौराजी मन्दिर के पास कलालवाटी में स्थित किराये के कमरे की खाना तलाशी लेने हेतु रवाना हो आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया के कालाजी-गौराजी मन्दिर के पास कलालवाटी (राजनगर) में स्थित किराये के कमरे पर पहुंच नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर कानि0 श्री भंवरदान नं0 414 के मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर समय 07.55 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आरोपी मय हमराहियान मय सरकारी वाहन/मोटर साईकिल के ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द के लिए रवाना होकर समय 08.00 पी.एम ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित आये। तत्पश्चात समय 08.05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों ही स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे मेमोरी कार्ड में परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर, परिवादी के भाई विक्रम गुर्जर, श्री बिण्टू कुम्हार (कम्पाउण्डर संवीदा कर्मी), आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया व आरोपी श्री तरूण गमेती की आपस में दिनांक 14.01.2025 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता रिकॉर्ड होने से उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404 द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त वार्ता में एक अन्य व्यक्ति की आवाज जिसमें उसके द्वारा कहा गया कि "किशनजी के उनके दो पशुओं के सात सौ बने" उक्त अन्य व्यक्ति की आवाज के सम्बन्ध में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रोशनलाल गुर्जर से पूछा गया कि "उक्त आवाज किसकी हैं" तो परिवादी ने बताया कि "मुझे स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा हैं कि उक्त आवाज श्री दिव्यम जाजोरिया की हैं या श्री बिन्टू प्रजापत (कम्पाउण्डर संवीदाकर्मी) हैं।" परिवादी द्वारा उक्त कथन में किस व्यक्ति की आवाज हैं जिसकी स्पष्ट रूप से पहचान नहीं करने से आईन्दा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से उक्त कथन के सम्बन्ध में संदिग्ध व्यक्ति की आवाज की पहचान करवाया जाना उचित रहेगा। तत्पश्चात समय 09.30 पीएम पर आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया पुत्र श्री अनिल कुमार जाजोरिया उम्र 32 साल, जाति रेगर, निवासी मकान नम्बर सी-669, कांता खतूरिया कॉलोनी, अमित स्टुडियों के पीछे, पुलिस थाना जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर हाल पशु चिकित्साधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय रिछेड अतिरिक्त चार्ज राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता-2023, में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 (B)(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता श्री अनिल कुमार को नियमानुसार दी जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.40 पीएम पर आरोपी श्री तरूण कुमार पुत्र श्री पिथाराम उम्र 28 साल, जाति गमेती, निवासी गंगलाया मौहल्ला, केलवाडा जिला राजसमन्द हाल ड्राईवर (संवीदाकर्मी) मोबाईल युनिट वैन कुम्भलगढ (केलवाडा) जिला राजसमन्द के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता-2023, में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 (B)(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता श्री पिथाराम को नियमानुसार दी जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.50 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कानि0 श्री भवंरदान नम्बर 414 द्वारा अपने मोबाईल फोन से आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया के किराये के कमरे की खाना तलाशी के दौरान ली गई विडीयो मोबाईल फोन में लगे ब्यूरो कार्यालय के मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC में की गई जो मोबाईल फोन कानि. भंवरदान ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश कर बताया कि "रिश्वत राशि बरामदगी के दौरान मुझ कानि0 के मोबाईल फोन में ब्यूरो कार्यालय के 32 जीबी मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC में रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी तथा इसी मेमोरी कार्ड में आरोपी दिव्यम जाजोरिया के किराये के कमरे की खाना तलाशी के दौरान श्रीमान के निर्देशानुसार मुझ कानि0 द्वारा मेरे मोबाईल के माध्यम से विडीयोग्राफी कर उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई जो उक्त दोनों रिश्वत राशि बरामदगी एवं खाना तलाशी की वीडियों रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हैं जो पेश कर रहा हुं।" इस पर कानि0 श्री भंवरदान नम्बर 414 के बताये अनुसार रिश्वत राशि बरामदगी एवं खाना तलाशी की रिकॉर्डिंग एक ही मेमोरी कार्ड में सुरक्षित हैं मगर आरोपी के किराये के कमरे की खाना तलाशी की जांच नियमानुसार पृथक से की जाती है इसलिए उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा खाना तलाशी कार्यवाही की वीडियोंग्राफी की आवश्यकता होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नं0 262 से कानि0 श्री भंवर दान के मोबाईल फोन को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा खाना तलाशी के वीडियों को एक खाली (रिक्त) पेनड्राईव geonix 16 GB (बरंग सिल्वर) में सेव/कॉपी करा उक्त खाना तलाशी की वीडियों की प्रथम डब कॉपी तैयार करा उक्त पेन ड्राईव की हैश वैल्यू कानि0 जितेन्द्र कुमार नं0 262 द्वारा निकाली जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर

सिलचिट कर मार्क-PD अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 10.20 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही के समय रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि0 भंवरदान नम्बर 414 द्वारा उसके मोबाईल फोन में लगे ब्यूरो कार्यालय के मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC में की थी तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 द्वारा कानि0 भंवरदान नं. 414 के मोबाईल फोन को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा कानि0 श्री भंवरदान नं. 414 के मोबाईल फोन में लगे उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि बरामदगी के वीडियों को एक खाली (रिक्त) पेनड्राईव geonix 16 GB (बरंग सिल्वर) में सेव/कॉपी करा उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियों की प्रथम डब कॉपी तैयार करा उक्त पेन ड्राईव की हैश वैल्यू कानि0 जितेन्द्र कुमार कानि. नम्बर 262 द्वारा निकाली जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर गये तथा उक्त पेनड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क-PD-1 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 10.50 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी व आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया के किराये के कमरे की खाना तलाशी की वीडियोग्राफी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि0 भंवरदान नम्बर 414 द्वारा उसके मोबाईल फोन में लगे ब्यूरो कार्यालय के मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC में रिकॉर्ड की थी जो मूल ही मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC को कानि0 भंवर दान के मोबाईल फोन से निकालकर उक्त मूल मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC बरंग नीला/आसमानी को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार सील्डचिट किया जाकर मार्क-M अंकित किया गया तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरांत समय 11.20 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 16.12.2024 को परिवादी एवं आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया के मध्य हुई मोबाईल व्हाट्सएप्प वॉईस कॉल वार्ताएं एवं दिनांक 10.01.2025 को हुई मोबाईल वार्ता/ रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं दिनांक 14.01.2025 को हुई अ रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता जो कि उक्त समस्त वार्ताऐं कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC बरंग नीला/आसमानी जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे हुये को श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं. 262 से ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर वार्तालाप के चार खाली (रिक्त) पेनड्राईव geonix 16 GB (बरंग सिल्वर) तैयार किये जाकर मूल पेन ड्राईव की हेश वेल्यु कानि0 जितेन्द्र कुमार नं0 262 से निकलवाई जाकर हैश वैल्यु रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। एक पेन ड्राईव पर मूल एवं दो पेन ड्राईव पर डब तथा एक पेन ड्राईव आई.ओ. के लिए तैयार किया गया। मूल पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क-PD-2 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 11.50 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 16.12.2024 को परिवादी श्री रोशन लाल एवं आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया के मध्य हुई मोबाईल व्हाट्सएप्प वॉईस कॉल वार्ताए एवं दिनांक 10.01.2025 को हुई मोबाईल वार्ता/ रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं दिनांक 14.01.2025 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा समस्त वार्ताओं की हेस वैल्यू कानि0 जितेन्द्र कुमार नं0 262 से निकलवाई जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय हाजा के लेपटॉप में पहले से ही लाईसेन्स शुदा एंटी वायरस (नेट प्रोटेक्टर टोटल सिक्युरिटी) इन्सटॉल्ड हैं जिसके द्वारा उक्त कार्यवाही में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड को स्कैन किया गया जिसमें किसी भी प्रकार का वायरस/मेल वायरस नहीं मिला। इसके पश्चात दिनांक 16.12.2024 को परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर एवं आरोपी श्री दिव्यम जाजोरिया के मध्य हुई मोबाईल व्हाट्सएप्प वॉईस कॉल वार्ताए एवं दिनांक 10.01.2025 को हुई मोबाईल वार्ता/ रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं दिनांक 14.01.2025 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर से सुरक्षित निकालकर मूल मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC बरंग नीला/आसमानी को वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार सील्डचिट किया जाकर मार्क-M-1 अंकित किया गया तथा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात दिनांक 15.01.2025 को समय 12.10 ए.एम. पर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार व श्री जगदीश कश्यप के समक्ष बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त सील को नष्ट किया जाकर एसीबी चौकी राजसमन्द के बाहर कुछ दुरी पर गंदे पानी की नाली में फिकवाई गई। फर्द नष्टीकरण जुदागाना तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 12.20 ए.एम पर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कमलेश कुमार व श्री जगदीश कश्यप को बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के आवश्यक हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया तथा गिरफ्तारशुदा आरोपीगणों को बाद मेडीकल मुआयना के जरिये जेसी रिमाण्ड माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम सं. 01 उदयपुर के आदेशानुसार हर दोनो आरोपीगणो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से आरोपी डॉ0 दिव्यम जाजोरिया पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय रिछेड अतिरिक्त चार्ज राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक

सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री रोशन लाल गुर्जर एवं अन्य पशुपालको के मवेशी/पशु के कानों के टैग लगाने एवं मवेशी/पशु के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में रिश्वत राशि प्रति मवेशी 600 रूपये के हिसाब से मांग करना तथा मांग अनुसार दिनांक 14.01.2025 को 21 मवेशी के हिसाब से 12,600/- रूपये आरोपी श्री तरूण कुमार गमेती के मार्फत प्राप्त करना, तथा आरोपी श्री तरूण कुमार द्वारा उक्त रिश्वत राशि 12,600/- रूपये अपने हाथों में लेकर अपना पहना हुआ पायजामा (लॉवर) की सामने की दाहिनी साईड की चेन वाली जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि 12,600/- रूपये बरामद होना तथा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुपालकों के पशुओ के रजिस्ट्रेशन के लिए 350 रूपये प्रति पशु के हिसाब से पृथक से मांग करना, तत्पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत दोनो हाथों के धोवण का रंग गुलाबी व हल्का गुलाबी होना व पहना हुआ पायजामा (लॉवर) की सामने की दाहिनी साईड की चेन वाली जेब को उलटवाने के पश्चात प्राप्त किये गये धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया जाने से आरोपी डॉ0 दिव्यम जाजोरिया पुत्र श्री अनिल कुमार जाजोरिया उम्र 32 वर्ष, जाति रेगर निवासी मकान नम्बर सी-669, कांता खतूरिया कॉलोनी, अमित स्टुडियो के पीछे, पुलिस थाना जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर हाल पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय रिछेड अतिरिक्त चार्ज राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द एवं श्री तरूण कुमार गमेती पिता पिथाराम उम्र 28 वर्ष, जाति गमेती निवासी गंगलाया मोहल्ला केलवाडा जिला राजसमन्द हाल ड्राईवर (संविदा कर्मी), मोबाईल युनिट वैन कुम्भलगढ के विरूद् जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता-2023 का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया गया। रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता के दौरान संदिग्ध व्यक्ति की आवाज जिसमें उसके द्वारा यह कहा गया कि "किशनजी के उनके दो पशुओं के सात सौ बने" उक्त कथन के सम्बन्ध में संदिग्ध व्यक्ति की आवाज की पहचान मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रोशनलाल गुर्जर से करवाई गई तो परिवादी ने बताया कि मुझे स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा हैं कि उक्त आवाज श्री दिव्यम जाजोरिया की हैं या श्री बिन्टू प्रजापत (कम्पाउण्डर संवीदाकर्मी) हैं। परिवादी द्वारा उक्त कथन में किस व्यक्ति की आवाज हैं जिसकी स्पष्ट रूप से पहचान नहीं करने से आईन्दा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से उक्त कथन के सम्बन्ध में संदिग्ध व्यक्ति की आवाज की पहचान करने एवं उक्त मामले में श्री बिन्टू प्रजापत (कम्पाउण्डर संवीदाकर्मी) की संलिप्तता एवं संदिग्ध भूमिका के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान किया जाना आवश्यक हैं। इस प्रकार आरोपीगण डॉ0 दिव्यम जाजोरिया हाल पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय रिछेड अतिरिक्त चार्ज राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द एवं श्री तरूण कुमार गमेती हाल ड्राईवर (संविदा कर्मी), मोबाईल युनिट वैन कुम्भलगढ के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) भारतीय न्याय संहिता-2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (हिम्मत चारण) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ....कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण डॉ0 दिव्यम जाजोरिया हाल पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय रिछेड अतिरिक्त चार्ज राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कुम्भलगढ जिला राजसमन्द एवं श्री तरूण कुमार गमेती हाल ड्राईवर (संविदा कर्मी), मोबाईल युनिट वैन कुम्भलगढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमति सोनु शेखावत पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर (इन्टे.) को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 284 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 48-52 दिनांक 17.01.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01 उदयपुर, 2. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, सचिवालय जयपुर, 3. एचआर कम्यूनिटी एक्शन थ्रु मोटीवेशन प्रोग्राम 105 प्रथम तल विजय सिटी पोइन्ट अहिंसा सर्कल सी–स्कीम जयपुर, 4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर, 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				
2	Male	1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)